

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 205/2009/जोधपुर.

अपील संख्या 206/2009/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, जोधपुर।

बनाम

मैसर्स राजा रामदेव स्टील ट्रेडर्स,
70, कोक्सकुटीर उद्योग, बाबू राजेन्द्र मार्ग, मसूरिया, जोधपुर।

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

...अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी.

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक।
अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :20.03.2018

निर्णय

1. यह अपीलें, राजस्व द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील क्रमशः अपील संख्या 9/आरएसटी/जेयूडी/07-08 एवं 8/सीएसटी/जेयूडी/07-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.09.2008 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-II, वृत्त-डी, जोधपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.03.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. दोनों प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में पृथक-पृथक रखी जावें।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी रिजेक्टेड रोलस का व्यवसाय करता है। प्रत्यर्थी द्वारा लेखा पुस्तकों में रिजेक्टेड रोल की बिक्री को स्क्रेप की बिक्री करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के खरीद बिक्री बिलों की जांच करने पर पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा न तो स्क्रेप की खरीद की गई है और न ही बिक्री। खरीद और बिक्री बिलों में प्रत्यर्थी द्वारा रिजेक्टेड रोल अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण प्राधिकारी ने माना कि कोई वस्तु रिजेक्टेड होने से वह वस्तु होने का गुण नहीं खोती और स्क्रेप नहीं होती है। अतः करापवचन के संदेह के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया जाकर यह स्पष्टीकरण चाहा गया कि आलौच्य अवधि में जो स्क्रेप की बिक्री दर्शाई गई हैं, वह स्क्रेप की न होकर डिफेक्टेड

लगातार.....2

मशीनरी पार्टस की बिक्री हैं, जिस पर मशीनरी की कर दर से क्यों न करारोपण किया जावे। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा पेश किये गये जवाब पर विचार करते हुए कर निर्धारण प्राधिकारी ने विवादित माल की बिक्री को डिफेक्टेड मशीनरी पार्टस की बिक्री मानते हुए उस पर मशीनरी की दर से करारोपण किया गया तथा ब्याज आरोपित किया गया।

इसी प्रकार के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत पारित आदेश में भी उपरोक्तानुसार अंकित तथ्यों के तहत प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में 'सी' फार्म पर की गई बिक्री पर भी मशीनरी पार्टस की बिक्री मानते हुए करारोपण किया गया तथा देय राशि राज्य कोष में समय पर जमा न कराने के कारण ब्याज आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इन पृथक्-पृथक् आदेशों के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवसायी की अपीलों को स्वीकार करते हुए अन्तर कर व ब्याज को अपास्त किया। जिनके विरुद्ध निम्नतालिका में वर्णित राशियों को चुनौती देते हुए विभाग द्वारा पृथक्-पृथक् अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर नि. आ. दि	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज
205/09	8/सीएसटी/जेयूडी/07-08	23.03.07	2006-07	3,500	840
206/09	9/आरएसटी/जेयूडी/07-08	23.03.07	2006-07	3,500	840

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।
5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन किया तथा कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश उनको प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किये गये है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी पर जो करारोपण किया है, वह विधिसम्मत है। प्रकरणों में प्रत्यर्थी द्वारा अपनी बिक्री को स्क्रेप की बिक्री करना दर्शाया गया है। व्यवसायी द्वारा बिक्री बिलों की जांच करने पर पाया कि व्यवसायी द्वारा न तो स्क्रेप की खरीद की है न ही बिक्री, खरीद एवं बिक्री दोनों बिलों में (Rejected Rolls) लिखा है। कोई वस्तु (Rejected or Defected) होने से व वस्तु होने का गुण नहीं खोती ओर Scrap नहीं होती है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को उचित व विधिनुकूल बतलाते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों को इस बिन्दु पर अपास्त करने का निवेदन किया एवं प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।
6. व्यवहारी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि व्यवहारी एक पंजीकृत व्यवसायी है उसके द्वारा राज्य के भीतर स्क्रेप की बिक्री की गई तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री सी फार्म के समर्थन पर की गई। उक्त बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 14 प्रतिशत व 4 प्रतिशत से मशीनरी पार्टस मानते हुये करारोपण किया गया जबकि स्क्रेप की बिक्री पर कर

लगातार.....3







दर 4 प्रतिशत व सी फार्म की बिक्री पर 2 प्रतिशत ही है। प्रत्यर्थी केवल स्क्रैप का ही व्यवसाय करता है तथा प्रत्यर्थी द्वारा स्क्रैप बड़ी आयरन स्टील कम्पनियों से जैसे टाटा आयरन, जिन्दल स्टील इत्यादि से क्रय किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त क्रय किये गये माल से संबंधित समस्त बिल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त बिलों को नजरअंदाज करते हुये उक्त माल स्क्रैप को मशीनरी पार्टस मानते हुये करारोपण कर दिया, जो कि अविधिक एवं न्यायविरुद्ध था। अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को अपास्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है, अतः उन्हानें विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा स्क्रैप का व्यवसाय किया जाता है, विवादित स्क्रैप बड़ी कम्पनियों से क्रय किया गया। उक्त क्रय किये गये स्क्रैप के सभी वांछित दस्तावेज, बिल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिसकी जांच किये बिना कर निर्धारण अधिकारी ने क्रय किये गये स्क्रैप को मशीनरी पार्टस की बिक्री मानकर मशीनरी पार्टस की कर दर से करारोपण किया गया, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 में आयरन एण्ड स्टील पर सीएसटी 2 प्रतिशत की कर दर निर्धारित की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा विवादित माल को स्क्रैप मानकर ही क्रय किया गया तथा विक्रय भी स्क्रैप मानकर किया गया। अतः विवादित वस्तु स्क्रैप की श्रेणी में आने के कारण इस पर आरएसटी 4 प्रतिशत की दर से ही कर देय है।
8. उपरोक्त विवेचन के अनुसार व्यवहारी पर अन्य कोई दायित्व नहीं बनता है, अतः उस पर आरोपित कर एवं ब्याज का आरोपण न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
9. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश विधिक प्रावधानों के आलोक में किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
10. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(कं. एल.जैन)
सदस्य